राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांक एफ 17(1)खा.वि./न्याय/08 जयपुर, दिनांक: 05/07/17

परिपत्र

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु विभाग द्वारा जारी समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के बिन्दु संख्या 4(ग) में आंशिक संशोधन कर निर्देश दिये जाते हैं कि आवंटन सलाहकार समिति के सदस्यों के मध्य किसी व्यक्ति/संस्था की पात्रता के बारे में मतभेद होने पर प्रकरण राज्य सरकार को प्रेषित नहीं किये जावें तथा ऐसे प्रकरण जिला कलक्टर द्वारा ही स्वयं के स्तर से निस्तारित किये जावें।

विभागीय समसंख्यक दिशा–निर्देश दिनांक 17.03.2016 के अनुसरण में पुनः समीक्षा के पश्चात् भी निस्तारण से शेष स्थानों पर चयन हेतु पुनः प्रक्रिया प्रारम्भ की जावे।

उक्त आदेश समक्ष स्तर से अनुमोदित है।

(प्रीति माथुर)
उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, खाद्य राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य विभाग, जयपुर।
4. समस्त जिला कलक्टर।
5. समस्त जिला रसद अधिकारी।
6. रक्षा पत्रिका।

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव